भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 3142

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 7 अगस्त, 2015 को दिया गया)

<u>एनएसईएल और एफटीआईएल का विलय</u>

3142. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड और फायनेन्शियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड के विलय की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) उक्त विलय के कब तक होने की संभावना है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) और (ख): केन्द्र सरकार ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के अंतर्गत नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एन.एस.ई.एल.) को फायनेन्शियल टेक्नोलॉजीज (इंडिया) लिमिटेड के साथ विलय करने हेतु दिनांक 21.10.2014 को प्रारूप आदेश जारी किए। इस बीच, एफटीआईएल ने भारत संघ/कारपोरेट कार्य मंत्रालय के विरूद्ध कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए और उक्त प्रारूप आदेश रद्द करने की प्रार्थना करते हुए माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है। फिलहाल यह मामला न्यायाधीन है।

*****